न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/324

1. रामजी लाल पुत्र श्री घासी, निवासी रामोला, बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. उप तहसीलदार, बगरू, जिला जयपुर ।
2. रतनी देवी पत्नी श्री रामजी लाल, जाति जाट, निवासी घौसल्या की ढाणी, रामोला, बगरू, जिला जयपुर ।
3. संतोष देवी पत्नी श्री रामावतार, जाति जाट निवासी ग्राम राणोली, तहसील पीपलू, जिला टोंक ।
4. सुरज्ञान पत्नी श्री रामस्वरूप
5. हीरा पत्नी श्री हरि
6. लाली पत्नी श्री रामलाल
   निवासीयान जाटों का मोहल्ला, चावण्डिया, डिग्गी—मालपुरा, जिला टोंक ।
7. सजना उर्फ प्रेम पत्नी श्री गोपाल चौपडा, निवासी 42 सुन्दर नगर, चौपडा मार्ग, पांच्यावाला, जयपुर ।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार बगरू जिला जयपुर आदेश दिनांक 15.07.2024 प्रकरण संख्या 01/2022 बउनवानी रामजीलाल बनाम सरकार अंतर्गत धारा 135(2)

उपस्थित—

1. श्री गोगराज चौधरी, सुरेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री सुमित शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—23.09.2025

संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरूके समक्ष अपीलांट द्वारा ग्राम बगरूकलां के खाता संख्या 84, 109, 131, 534, 822, 1171 के मृतक खातेदार घासी के नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार बगरू द्वारास्व0 घासी जाट की विरासत का नामा0 उसके सात वारिस एक पुत्र, चार

पुत्रियां, पत्नि व मृतक के पुत्र कानाराम की पत्नि के नाम दर्ज किये जाने के आदेशदिनांक 15.07.2024 को दिए गये।

3. उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट रामजी लाल ने सजरा खानदान प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक खातेदार घासी लाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 जो कि घासी लाल के पुत्र काना राम की पत्नी है। कानाराम का स्वर्गवास घासी की मृत्यु से पूर्व दिनांक 18.06.1998 को हो गया था उसकी मृत्यु के बाद काना राम की पत्नी सजना देवी उर्फ प्रेम देवी ने भी अपना पुर्नविवाह घासी की मृत्यु से पूर्व ही कर लिया था तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि सजना देवी ने पुर्नविवाह करीबन 20–25 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। उक्त तथ्य पूर्णतया माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित था कि उक्त सजना देवी का अन्यत्र विवाह करने के पश्चात विवादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार निहित नहीं था, के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 7 के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किये है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2024 को रेस्पोडेंट संख्या 7 सजना देवी उर्फ प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री कानाराम हाल पत्नी गोपाल चौपडा की हद तक निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू के समक्ष अपीलांट द्वारा ग्राम बगरूकलां प्रश्नगत आराजी के मृतक खातेदार घासी के नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार बगरू द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् ही विधिवत् स्व0 घासी जाट की विरासत का नामा0 उसके सात वारिस एक पुत्र, चार पुत्रियां, पत्नि व मृतक के पुत्र कानाराम की पत्नि के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 15.07.2024 को दिए गये, जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप

तहसीलदार बगरू द्वारा ग्राम बगरूकलां के खाता संख्या 84, 109, 131, 534, 822, 1171 के मृतक खातेदार स्व0 घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट की मृत्यु दिनांक 19.09.2020 को होने के पश्चात् उसके नाम दर्ज भूमि के विरासत का नामान्तरकरण उसके सात वारिस एक पुत्र, चार पुत्रियां, पत्नि तथा मृतक के पुत्र कानाराम की पत्नि के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 15.07.2024 को दिए गये। अपीलांट की अपील के माध्यम से मुख्य रूप से आपत्ति है कि घासी के पुत्र स्व0 कानाराम का देहावसान दिनांक 18.06.1998 को घासी की मृत्यु से पूर्व ही हो गया था एवं उसकी पत्नी सजना देवी ने मृतक खातेदार स्व0 घासी की मृत्यु से पूर्व ही अन्यत्र विवाह कर लेने के कारण विवादग्रस्त आराजी में कोई हक–हकूक अधिकार नहीं है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा सजना देवी के विवाह के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित हो कि सजना देवी का विवाह कब हुआ है। उप तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 के आधार पर विधिवत् प्रकरण अंतर्गत धारा 135(2) में दर्ज कर उचित जांच एवं आपत्ति प्रकाशन उपरान्त ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् मृतक खातेदार स्व0 घासी की विरासत दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 15.07.2024 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त जयपुर